भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 1**61**

उत्तर देने की तारीखः 2**7**.**12**.201**8**

मध्‍याह्न भोजन योजना की समीक्षा किया जाना

\*161. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कार्यान्वित की जा रही मध्याह्न भोजन योजना की**

**समीक्षा करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और इसके समुचित कार्यान्वयन में पेश आ रही चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त समीक्षा मिशन गठित किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

**(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**\*\*\*\*\***

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा किये जाने के संबंध में श्री धर्मपुरी श्रीनिवास द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 161 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण

(क): मौजूदा नीति के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से उनकी चालू योजनाओं का मूल्‍यांकन और उन्‍हें आगे जारी रखने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उनकी परिणामी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। तद्नुसार, सरकार मध्‍याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के विभिन्‍न संघटकों अर्थात् भोजन पकाने की लागत, परिवहन की सहायता, प्रबंधन मॉनीटरिंग और मूल्‍यांकन व्‍यय, रसोई के उपकरणों की लागत आदि में संशोधन करने के लिए मध्‍याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की समीक्षा कर रही है।

(ख): मध्‍याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संयुक्‍त समीक्षा मिशन (जेआरएम) 2009 में शुरू किए गए थे। अब तक 11 जेआरएम संचालित किए गए हैं। जेआरएम, जिसमें शैक्षणिक और पोषणिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं, समय-समय पर फील्‍ड दौरों के जरिए योजना की समीक्षा करते हैं। जेआरएम, योजना के विभिन्‍न पहलुओं की समीक्षा करते हैं यथा बच्‍चों का कवरेज, राज्‍य को स्‍कूलों/कार्यान्‍वयन एजेंसियों से निधियों की प्राप्‍ति; स्‍कूलों को राज्‍य से खाद्यान्‍नों का सुपुर्दगी तंत्र; स्‍वचालित मॉनीटरिंग प्रणाली का कार्यान्‍वयन; मध्‍याह्न भोजन नियम, 2015 का संचालन; खाद्य सुरक्षा दिशा-निर्देशों का प्रसार; रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय का यथा समय भुगतान; योजना में शिक्षकों की भूमिका; शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय दवारा भोजन चखना; भोजन का परीक्षण; आकस्‍मिक योजना, बच्‍चों के बॉडी मास इंडैक्‍स (बीएमआई) का परिकलन आदि। जेआरएम की रिपोर्टें संबंधित राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती हैं ताकि निष्‍कर्षों और सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई की जा सके।

\*\*\*\*